न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 71/2016

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
नरपतसिंह पुत्र विजयसिंह जाति चारण निवासी रेन्दडी तहसील सोजत		1. महेन्द्रसिंह पुत्र सूरजदान जाति चारण निवासी रेन्दडी 2. ग्राम पंचायत रेन्दडी जरिये सरपंच 3. ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत रेन्दडी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 4/2005–06 संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4916 दिनांक 21.07.2006 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत में पुराने मेघवालों के पास में प्रार्थी के स्वयं का खरीदसुदा, कब्जासुदा, पट्टासुदा एक मकान स्थित है, जिसके पूर्व में उंकारदान पुत्र खूमदान का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में गांव सियाट जाने वाला रास्ता तथा दक्षिण में घीसाराम मेघवाल का मकान स्थित है। इन पडौस के बीच का मकान प्रार्थी ने भूराराम, भीकाराम पि0 मगाराम से दिनांक 25.09.1990 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तब से प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा है। प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में स्थित आम रास्ते का दिनांक 20.11.2016 को ग्राम पंचायत रेन्दडी के ग्रुप सचिव एवं सरपंच द्वारा नाप चौक किये जाने पर सरपंच द्वारा प्रार्थी का मकान आम रास्ते पर स्थित होना बताते हुए हटाये जाने की धमकी दी, तब प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.1986 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की नकल बताई तथा प्रार्थी के रहवास मकान का नाप चौक करवाया तो प्रार्थी का मकान उसके पट्टासुदा भूमि के अन्दर ही स्थित है। तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कहा कि उक्त रास्ता 16 फीट है, जो मेरे पट्टे के पूर्व दिशा में अंकित है, तब प्रार्थी ने पंचायत से जैर निगरानी मिसल एवं पट्टे की नकल प्राप्त की, तब प्रार्थी को यह जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत रेन्दडी से मिलीभगत कर रास्ते का नाप गलत दर्शित करते हुए उक्त पट्टा जारी करवाया है। इस पट्टे की पूर्व दिशा में आम रास्ते को छोडकर प्रार्थी का रहवासी मकान आया हुआ स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रिंसिपल विक्रेता द्वारा पूर्व में इसी भूमि का पट्टा घीसाराम पुत्र नवलाराम के नाम से पट्टा संख्या 51/67 जारी हो रखा है, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 1 के पक्ष में गलत व विधि विरूद्ध तरीके से अतिरिक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए रास्ते का गलत माप अंकित कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि एक बार किसी भूमि का पट्टा बन जाता है, तो पूर्व में जारी पट्टा अस्तित्व में रहते नया पट्टा जारी नही किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। इस भूमि का पूर्व में कोई पट्टा जारी नही हुआ है। भूराराम के नाम से दो पट्टे जारी हुए है, दोनो पर एक ही मिसल संख्या एवं पट्टा संख्या अंकित है, जबकि दोनो पट्टो के नक्शे में फर्क है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, फीस जमा करवाई है। ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया है तथा मनोनित वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण करने के बाद नोटिस जारी किया गया एवं उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता नही होने से निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 4/2005–06 संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4916 दिनांक 21.07.2006 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदक महेन्द्रसिंह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दडी के समक्ष अपने रहवासी मकान/भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित भूमि का पडौस आदि अंकित है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा जरिये रसीद संख्या 771/05.10.2005 के जरिये राशि 60/– जमा किये गये तथा मिसल कायम की गई। दिनांक 05.10.2005 को ग्राम सेवक एवे पदेन सचिव को नक्शा बनाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया, उस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही है, सरपंच के हस्ताक्षर है। पंचायत की बैठक दिनांक 20.10.2005 में उक्त मिसल पेश हुई, जिस पर ग्राम सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया एवं इस दिनांक को तीन वार्ड पंचों की कमेटी मनोनीत कर मोका निरीक्षण करने के आदेश दिये गये। तीन वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर दिनांक 05.11.2005 को नियम 147 के तहत पट्टा बनाने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 05.12.2005 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दो गवाह पेश करने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.01.2006 को नियम 157 (ख) के तहत महेन्द्रसिंह के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 21.04.2006 को नियम 166 के तहत अपील अवधि गुजरने के पश्चात पट्टा जारी किया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः पालना की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि जिस भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर पूर्व में घीसाराम पुत्र नवलाराम के नाम से पट्टा संख्या 51/67 जारी हो रखा है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उक्त पट्टा संख्या 51 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टा घीसाराम पुत्र नवलाराम कौम मेघवाल के नाम जारी हो रखा है। इस पट्टे एवं जैर निगरानी पट्टे के पडौस परस्पर मेल नही होते है तथा न ही इनके क्षैत्रफल का मिलान होता है। इस कारण यह प्रमाणित नही होता है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व में कोई पट्टा जारी हो रखा हो। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना की गई है। इस कारण निगरानी स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, रेन्दडी द्वारा मिसल संख्या 4/2005–06 संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.07.2006 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4916 दिनांक 21.07.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली